न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/01/2026	2026/6	05.01.2026	19.01.2026

1. जुबेदा पुत्री श्री रहमान पत्नी श्री अली मौहम्मद जाति मेव, निवासी ग्राम रसगण तहसील नौगांवा जिला अलवर हाल निवासी खोहडा करमाली तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार नौगांवा, जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध इंतकाल सं0 2339 आदेश दिनांक 07.02.2025 तहसीलदार नौगांवा, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री पूरण सिंह यादव —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दीपक मीना —पैरोकार सरकार

—:निर्णयः—

यह अपील, अपीलार्थी जुबेदा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के आदेश दिनांक 07.02.2025, जिसके द्वारा ग्राम रसगण का नामान्तरकरण संख्या 2339 स्वीकार किया गया था, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि "हाल आराजी खसरा नं. 1376 रकबा 2.3200 हैक्टेयर, 1402 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, 1410 रकबा 2.9500 हैक्टेयर, 1423 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, 1431 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 1445 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, 1471 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, 1474 रकबा 0.4600 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 9.0800 हैक्टेयर का 1/15 हिस्सा यानि रकबा 0.6053 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खसरा नं. 1387 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, 1395 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, 1397 रकबा 0.6600 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 2.0300 हैक्टेयर का 1/15 हिस्सा यानि 0.1353 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खसरा नं. 3131/1462 रकबा 0.8195 हैक्टेयर का 1/15 हिस्सा यानि रकबा 0.0546 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खसरा नं, 3109/1437 रकबा 1.1240 हैक्टेयर, 3111/1463 रकबा 0.4215 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.5455 हैक्टेयर का 1/15 हिस्सा यानि रकबा 0.1030 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खसरा नं. 3151/1439 रकबा 1.3593 हैक्टेयर का 1/45 हिस्सा यानि रकबा 0.0302 हैक्टेयर, इस प्रकार हिस्सा मुताबिक कुल रकबा 0.9284 हैक्टेयर का 1391/9284 हिस्सा यानि रकबा 0.1391 हैक्टेयर वाके ग्राम रसगण तहसील नौगांवां का बेचान अपीलान्टा द्वारा इमरत पुत्र श्री रायमल जाति मेव निवासी सुक्का का बास, रसगण तहसील नौगांवा जिला अलवर को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 07.02.2025 को समस्त प्रतिफल रकम लेकर बाकब्जा बेचान कर दिया था, जो बयनामा दिनांक 07.02.2025 को उपपंजीयक कार्यालय नौगावा में पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 27 में पृष्ठ सं. 108 क्रम संख्या 202503603100296 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 107 के पृष्ठ संख्या 31 से 26 पर चस्पा किया गया।

उक्त खरीददार ईमरत ने पंजीकृत बयनामा की नकल रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार) के समक्ष पेश कर बयनामा अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार) ने अपने अधिनस्थ हल्का पटवारी को बयनामा अनुसार रिपोर्ट पेश करने की

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

हिदायत दी। जिस पर हल्का पटवारी ने बयनामा अनुसार अपनी रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की परन्तु रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार) ने विधि विरूद्ध तरीके से कानूनी अहम भूल कारित कर बयनामा के अनुसार मुताबिक कुल रकबा 0.9284 हैक्टेयर का 1391/9284 हिस्सा यानि रकबा 0.1391 हैक्टेयर का इन्तकाल खरीददार इमरत के पक्ष में दर्ज व मन्जूर करना था परन्तु रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा इन्तकाल सं. 2339 दर्ज व स्वीकार दिनांक 07.02.2025 को मिन अपीलान्टा का समस्त रकबा का इन्तकाल इमरत के पक्ष में गैरकानूनी तरीके से दर्ज व स्वीकार कर दिया। जिसकी बाबत ना तो रेस्पोडेन्ट ने मिन अपीलान्टा को कोई नोटिस जारी किया और ना ही कोई सूचना दी, ना ही चौपाल पर कोई इश्तहार लगाया और ना ही सही प्रकार मौका की कोई जाँच की। विधि विरूद्ध इन्तकाल दर्ज व स्वीकार होने के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खरीददार इमरत के नाम का अमल दरामद हो गया। उक्त इन्तकाल अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्टा जो कि ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है, जिसे कानूनी कायदे की कतई जानकारी नहीं है। मिन अपीलान्टा को जब अपनी शेष बची खातेदारी की भूमि पर बैंक में रहन रखकर रकम की जरूरत हुई तो मिन अपीलान्टा ने हल्का पटवारी के पास जाकर जमाबन्दी का अवलोकन किया तो पता चला कि मिन अपीलान्टा की शेष बची खातेदारी की भूमि जिसका बेचान नहीं किया गया था, उसका भी बयनामा दिनांक 07.02.2025 के अनुसार गलत तौर पर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने खरीददार इमरत के नाम में इन्तकाल दर्ज व मन्जूर कर राजस्व रिकार्ड में अमल कर दिया था। जिस पर कानूनी राय लेकर समस्त कागजातो की नकल ली और दिनांक 26.12.2025 रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के पास आवेदन पेश कर इन्तकाल सं. 2339 को निरस्त कर बयनामा दिनांक 07.02.2025 क अनुसार खरीददार इमरत के पक्ष में इन्तकाल दर्ज व मन्जूर करने व मिन अपीलान्टा की शेष बची भूमि का अमल बदस्तूर पूर्ववत रखने का आग्रह किया तो रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने इन्तकाल को निरस्त/दुरूस्त करने से साफ तौर से मना कर दिया है। जिस पर मिन अपीलान्टा को अपने हकूको की रक्षार्थ यह अपील हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है। दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

विवादित इन्तकाल सं. 2339 जिसमें मिन अपीलान्टा की शेष बची भूमि का गलत तौर से इन्द्राज बाद बेचान खरीददार के नाम कर दिया गया है। मिन अपीलान्टा अपनी शेष बची खातेदारी की भूमि पर काबिज व दाखिल है तथा मौके पर वास्तविक कब्जा है। अतः अपील मिन अपीलान्टा पेश कर निवेदन है कि अपीलान्टा की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के द्वारा इन्तकाल सं. 2339 का आदेश दर्ज व स्वीकार दिनांक 07.02.2025 को गलत तरीके से मिन अपीलान्टा की बिना बेचानशुदा भूमि खरीददार इमरत के पक्ष में आदेश पारित किया है. उक्त आदेश को अपास्त फरमाया जाकर बयनामा दिनांक 07.02.2025 के अनुसार मुताबिक कुल रकबा 0.9284 हैक्टेयर का 1391/9284 हिस्सा यानि रकबा 0.1391 हैक्टेयर का इन्तकाल खरीददार इमरत के पक्ष में दर्ज व मन्जूर किया जाकर, मिन अपीलान्टा की शेष बची खातेदारी की भूमि का अमल यथावत रखा जावें।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपने समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि हाल आराजी खसरा नं. 1376 रकबा 2.3200 हैक्टेयर, 1402 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, 1410 रकबा 2.9500 हैक्टेयर, 1423 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, 1431 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 1445 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, 1471 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, 1474 रकबा 0.4600 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 9.0800 हैक्टेयर का 1/15 हिस्सा यानि रकबा 0.6053 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खसरा नं. 1387 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, 1395 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, 1397 रकबा 0.6600

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 2.0300 हैक्टेयर का 1/15 हिस्सा यानि 0.1353 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खसरा नं. 3131/1462 रकबा 0.8195 हैक्टेयर का 1/15 हिस्सा यानि रकबा 0.0546 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खसरा नं. 3109/1437 रकबा 1.1240 हैक्टेयर, 3111/1463 रकबा 0.4215 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.5455 हैक्टेयर का 1/15 हिस्सा यानि रकबा 0.1030 हैक्टेयर तथा हाल आराजी खरारा नं. 3151/1439 रकबा 1.3593 हैक्टेयर का 1/45 हिस्सा यानि रकबा 0.0302 हैक्टेयर, इस प्रकार हिस्सा 'मुताबिक कुल रकबा 0.9284 हैक्टेयर का 1391/9284 हिस्सा यानि रकबा 0.1391 हैक्टेयर वाके ग्राम रसगण तहसील नौगांवां का बेचान मिन अपीलान्टा द्वारा इमरत पुत्र श्री [illegible] जाति मेघ निवासी सुक्का का बास, रसगण तहसील नौगांवा जिला अलवर को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 07.02.2025 को समस्त प्रतिफल रकम लेकर बाकब्जा बेचान कर दिया था। श्री बयनामा दिनांक 07.02.2025 को उपपंजीयक कार्यालय नौंगावा में पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 27 में पृष्ठ सं. 108 कम संख्या 202503603100296 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 107 के पृष्ठ संख्या 31 से 26 पर चस्पा किया गया। उक्त खरीददार ईमरत ने पंजीकृत बयनामा की नकल रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के समक्ष पेश कर बयनामा अनुसार इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने अपने अधिनस्थ हल्का पटवारी को बयनामा अनुसार रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। जिस पर हल्का पटवारी ने बयनामा अनुसार अपनी रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की परनतु रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने विधि विरूद्ध तरीके से कानूनी अहम भूल कारित कर बयनामा के अनुसार मुताबिक कुल रकबा 0.9284 हैक्टेयर का 1391/9284 हिस्सा यानि रकबा 0.1391 हैक्टेयर का इन्तकाल खरीददार इमरत के पक्ष में दर्ज व मन्जूर करना था परन्तु रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा इन्तकाल सं. 2339 दर्ज व स्वीकार दिनांक 07.02.2025 को मिन अपीलान्टा का समस्त रकबा का इन्तकाल इमरत के पक्ष में गैरकानूनी तरीके से दर्ज व स्वीकार कर दिया। जिसकी बाबत ना तो रेस्पोडेन्ट ने मिन अपीलान्टा को कोई नोटिस जारी किया और ना ही कोई सूचना दी, ना ही चौपाल पर कोई इश्तहार लगाये और ना ही सही प्रकार मौका की कोई जॉच की। विधि विरूद्ध इन्तकाल दर्ज व स्वीकार होने के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खरीददार इमरत के नाम का अमल दरामद हो गया। उक्त इन्तकाल हरसूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलान्टा जो कि ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है, जिसे कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है। मिन अपीलान्टा को जब अपनी शेष बची खातेदारी की भूमि पर बैंक में रहन रखकर रकम की जरूरत हुई तो मिन अपीलान्टा ने हल्का पटवारी वं पास जाकर जमाबन्दी का अवलोकन किया तो पता चला कि मिन अपीलान्ट की शेष बची खातेदारी की भूमि जिसका बेचान नहीं किया गया था, उसव भी बयनामा दिनांक 07.02.2025 के अनुसार गलत तौर पर रेस्पोडे तहसीलदार ने खरीददार इमरत के नाम में इन्तकाल दर्ज व मन्जूर व राजस्व रिकार्ड में अमल कर दिया था। जिस पर कानूनी राय लेकर सम कागजातो की नकल ली और दिनांक 26.12.2025 रेस्पोडेन्ट तहसीलदार के पास आवेदन पेश कर इन्तकाल सं. 2339 को निरस्त कर बयनामा दिनांक 07.02.2025 क अनुसार खरीददार इमरत के पक्ष में इन्तकाल दर्ज व मन्जूर करने व मिन अपीलान्टा की शेष बची भूमि का अमल बदस्तूर पूर्ववत रखने का आग्रह किया तो रेस्पोडेन्ट तहसीलदार ने इन्तकाल को निरस्त/दुरूस्त करने से साफ तौर से मना कर दिया है। जिस पर मिन अपीलान्टा को अपने हकूको की रक्षार्थ यह अपील हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।" मिन अपीलान्टा जो कि विवादित इन्तकाल सं. 2339 जिसमें मिन अपीलान्टा की शेष बची भूमि का गलत तौर से इन्द्राज बाद बेचान खरीददार के नाम कर दिया गया है। मिन अपीलान्टा अपनी शेष बची खातेदारी की भूमि पर काबिज व दाखिल है तथा मौके पर मिन अपीलान्टा का वास्तविक कब्जा है। मिन अपीलान्टा

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

ने अपने अपील हाजा के समर्थन में सभी दस्तावेजात न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर दिये है। जिससे मिन अपीलान्टा की अपील प्रथम दृष्टया आयद व साबित होती है तथा मिन अपीलान्टा की अपील मिन अपीलान्टा के पक्ष में निर्णय किये जाने योग्य है।

अतः निवेदन है कि अपीलान्टा की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के द्वारा इन्तकाल सं. 2339 का आदेश दर्ज व स्वीकार दिनांक 07.02.2025 को गलत तरीके से मिन अपीलान्टा की बिना बेचानशुदा भूमि खरीददार इमरत के पक्ष में आदेश पारित किया है, उक्त आदेश को अपास्त फरमाया जाकर बयनामा दिनांक 07.02.2025 के अनुसार मुताबिक कुल रकबा 0.9284 हैक्टेयर का 1391/9284 हिस्सा यानि रकबा 0.1391 हैक्टेयर का इन्तकाल खरीददार इमरत के पक्ष में दर्ज व मंजूर किया जाकर, मिन अपीलान्टा की शेष बची खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार नौगांवा से इस प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अपीलाधीन विवादित इंतकाल सं० 2339 वाके ग्राम रसगण के संबंध में तहसीलदार नौगांवा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम रसगण के नामां० संख्या 2339 दिनांक 07.02.2025 के अनुसार ग्राम रसगण के खाता संख्या 60, 61, 352, 852, 871 काश्तकार जुबेदा पुत्री रहमान हि० क्रमशः 1/15, 1/15, 1/45, 1/15, 1/15 जाति मेव सा.देह खातेदार से बेचान द्वारा काश्तकार इमरत पुत्र रायमल हि० 1/15, 1/15, 1/45, 1/15, 1/15 जाति मेव निवासी सुक्का का बास. रसगण खातेदार के नाम सर्वर सर्टिफिकेट से प्रमाणित नामां. संख्या 2339 दिनांक 07.02.2025 निर्णित हुआ है। मुताबिक विक्रय पत्र दस्तावेज रजि० नम्बर 202503603100296 दिनांक 07.02.2025 के अनुसार विक्रेता जुबेदा पुत्री रहमान जाति मेव सा. देह खातेदार द्वारा ग्राम रसगण के खाता संख्या 60 कुल रकबा 0.8195है0 का 1/15 रकबा 0.0546 है०, खाता संख्या 61 कुल रकबा 1.5455 है० का 1/15 रकबा 0.1030 है०, खाता संख्या 352 कुल रकबा 1.3593 है० का 1/45 रकबा 0.0302है०, खाता संख्या 852 कुल रकबा 2.0380 का 1/15 रकबा 0.1353है० एवं खाता संख्या 871 कुल रकबा 9.08 है० का 1/15 रकबा 0.60530 कुल रकबा 0.9284है० का 1391/9284 हि० यानि रकबा 0.1391 है० का बेचान क्रेता इमरत पुत्र रायमल जाति मेव निवासी ग्राम सुक्का का बास, रसगण तहसील नौगावां (अलवर) के पक्ष में किया गया था।

उक्त विक्रय पत्र दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2339 दिनांक 07.02.2025 में क्रेता पक्ष का हिस्सा खाता संख्या 60 में 1/15 के स्थान पर 1391/139260, खाता संख्या 61 में हिस्सा 1/15 के स्थान पर 1391/139260, खाता संख्या 352 में हि0 1/45 के स्थान पर हि० 1391/417780, खाता संख्या 852 में हि0 1/15 के स्थान पर हि0 1391/139260, एवं खाता संख्या 871 में हि0 1/15 के स्थान पर हि० 1391/139260 होना उचित होता। इसी प्रकार विक्रेता का हि० खाता संख्या 60, 61, 852 एवं 871 में हि0 2631/46420 एवं खाता संख्या 352 में 877/46220 होना उचित होता। अतः उक्तानुसार स्वतः नामान्तरकरण संख्या 2339 नियमानुसार निरस्त किया जाना उचित होगा एवं विक्रय दस्तोवज के आधार पर सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार नामांतरकरण दर्ज किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2025 के विरुद्ध दिनांक 31.12.2025 को प्रस्तुत की गई है, जो कि लगभग 11 माह के विलम्ब से है। अपीलार्थी का तर्क है कि उसे इंतकाल की जानकारी विलंब से हुई क्योंकि उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था। न्यायहित में और माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

विभिन्न दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए, विलंब को क्षमा किया जाकर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति, अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क और तहसीलदार नौगांवा की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विक्रेता (अपीलार्थी) ने अपनी संपूर्ण भूमि विक्रय नहीं की थी, अपितु उसका एक भाग, रकबा 0.1391 हैक्टेयर विक्रय किया था। न्यायालय द्वारा तहसीलदार नौगांवा से इस प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नौगांवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2025 के अनुसार विक्रेता जुबेदा ने अपने कुल रकबा 0.9284 हैक्टेयर में से केवल 0.1391 हैक्टेयर भूमि बेचान की थी। परन्तु, नामान्तरकरण संख्या 2339 दिनांक 07.02.2025 में सर्वर/तकनीकी त्रुटि के कारण क्रेता का हिस्सा, विक्रय पत्र में वर्णित आंशिक हिस्से (जैसे 1391/139260 आदि) के स्थान पर अपीलार्थी का पूर्ण हिस्सा (जैसे 1/15, 1/45 आदि) दर्ज हो गया है। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई है कि इंतकाल संख्या 2339 नियमानुसार निरस्त किया जाना उचित है और विक्रय विलेख में वर्णित सही हिस्से के आधार पर नया इंतकाल दर्ज किया जाना चाहिए। तहसीलदार नौगांवा की रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि विवादित इंतकाल संख्या 2339 में त्रुटिवश अपीलार्थी का संपूर्ण हिस्सा क्रेता के नाम दर्ज हो गया है, जिससे अपीलार्थी के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है। चूंकि तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद पंजीकृत बयनामा के विपरीत हुआ है, अतः विवादित इंतकाल निरस्त योग्य है एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, अपीलाण्टा की अपील स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा द्वारा पारित इंतकाल संख्या 2339 दिनांक 07.02.2025 को निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार नौगांवा को निर्देशित किया जाता है कि वे पंजीकृत विक्रय पत्र रजि. नं. 202503603100296 दिनांक 07.02.2025 का पुनः अवलोकन कर विक्रय पत्र के अनुसार केवल विक्रित रकबा 0.1391 हैक्टेयर (तदनुसार सही हिस्सा/अंश) का इंतकाल क्रेता इमरत पुत्र रायमल के पक्ष में विधि अनुसार इंतकाल दर्ज व तस्दीक करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)